

राजस्थान सरकार
खान एवं पेट्रोलियम विभाग

क्रमांक: प.1(14)खान/गुप-1/2020 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 06 JUL 2022

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(1)खान/गुप-1/2021 पार्ट दिनांक 04.02.2022 द्वारा श्री जे.के.गुरुबक्षाणी, अधीक्षण खनि अभियंता, अजमेर को अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर के पद का कार्य अपने पद के कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से संपादित करने के आदेश जारी किये गये है।

अतः राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम-2017 के नियम 63 के अन्तर्गत अपील सुनने हेतु श्री जे.के.गुरुबक्षाणी, अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

आज्ञा से



(नीतू चारूपाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मंत्री, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. श्री जे.के.गुरुबक्षाणी, अधीक्षण खनि अभियंता, अजमेर।
6. निजी पत्रावली।
7. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव